

modus operandi for Paid OPD

1. This facility is only for medical consultation.
 2. There would be no binding on the Hospital or the Consultants under this facility for admission, surgery or investigation on priority basis.
 3. Under this special service, the patient would have to consult the respective Consultant on the specific day only and if he has urgency, he has to consult as a general patient, in the routine OPD of morning hours.
 2. The OPD slip of yellow colour will be issued by charging Rs. 500/- on Cash Collection & Registration Counter.
 3. For referral cases from one OPD to another an amount of Rs.250/- per patient will be the charged for the issue of afresh OPD Slip (Referral OPD Slip) of pink colour, on which only a Consultant, to whom the reference has been made, will give his prescription/advice.
 4. The OPD timings for the months from October to February will be from 4 PM to 6 PM and for the month March to September, 5 PM to 7 PM.
 5. Maximum number of booking of patients per Consultant per day will be limited to 20 only for fresh registration.
 6. The OPD Slip for this facility will be valid for two visits or for one month only whichever is earlier.
 7. If patient needs emergency treatment, he may be advised to approach the Emergency OPD and the money paid for registration, will be refunded from the Registration Counters on the same day during working hours, after written advise of the Consultant on the OPD Slip.
 8. The investigative charges for the paid clinic will be 1.5 times of the normal charges.
-
1. यह सुविधा केवल चिकित्सकीय नैदानिक परामर्श के लिए है।
 2. इस सुविधा के अन्तर्गत कोई भी भर्ती /शल्य अथवा जाँच क्रिया प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए चिकित्सालय या परामर्शदाता बाध्य नहीं है।
 3. इस विशिष्ट सेवा में जाँच के रिपोर्ट तथा अन्य सुविधाओं के लिए रोगी केवल उपयुक्त तिथि पर ही चिकित्सक को दुबारा दिखा सकेगा अन्यथा उसे प्रातः कालीन (दैनिक सेवाओं में) सामान्य रोगी के तरह ही आना होगा।
 4. पीले रंग का सशुल्क बहिरंग पत्र नकद संकलन एवं पंजीकरण पटल से रु. 500/- के भुगतान पर जारी की जायेगी।
 5. प्रत्येक परामर्शदाता के अंतर्गत प्रतिदिन मात्र 20 मरीजों का ही पंजीकरण होगा।
 6. किसी अन्य परामर्शदाता के यहां संदिर्भित हो ने पर मरीज को नकद संकलन एवं पंजीकरण पटल से रु. 250/- के भुगतान पर गुलाबी रंग का संदिर्भित बहिरंग पत्र जारी की जायेगी।
 7. सशुल्क बहिरंग सेवा माह अक्टूबर से फरवरी तक सायं 4 से 6 तथा माह मार्च से सितम्बर तक सायं 5 से 7 बजे रहेगी।
 8. इस विशिष्ट सेवा हेतु बहिरंग पत्र की वैधता एक माह या दो बार, जो पहले हो, के परामर्श के लिए ही है।
 9. यदि मरीज को आकस्मिक इलाज की आवश्यकता पड़ती है तो उसे आकस्मिक चिकित्सा कक्ष हेतु चिकित्सक द्वारा परामर्श दिया जायेगा और पंजीकरण हेतु जमा धनरशि चिकित्सक द्वारा बहिरंग पत्र पर लिखित सलाह दिये जाने के उपरांत उसी दिन कार्यावधि में पंजीकरण पटल द्वारा वापस की जायेगी।
 10. सशुल्क बहिरंग सेवा में जाँच का दर सामान्य दर से डेढ़ गुना होगा।